वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 139/2025 *दिनांक- 16.04.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में दिनांक-15.04.2025 को थाना तहबरपुर की पुलिस टीम द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए पुलिस मुठभेड़ में एक अन्तर्जनपदीय गो-तस्कर घायल अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

थाना-तहबरपुर पुलिस मुठभेड़ में 01 अन्तर्जनपदीय गो-तस्कर घायल अभियुक्त गिरफ्तार; ट्रक पर लदे 20 प्रतिबंधित पशु जिन्दा व घायल अभियुक्त के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस बरामद -

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 15.04.2025 को प्रभारी निरीक्षक तहबरपुर सुदेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर **पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे** पर चेकिंग किया जा रहा था कि लखनऊ की तरफ से एक ट्रक वाहन संख्या UP 63T 8818 आता हुआ दिखाई दिया जिसे पुलिस बल द्वारा रोका गया तो ट्रक का ड्राइवर रोहित यादव पुत्र लाल बहादुर निवासी ग्राम कोहड़ा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर व उसका साथी अबिद पुत्र अज्ञात सा0 अज्ञात मौके से फरार हो गये थे तथा ट्रक पर लदे 20 प्रतिबन्धित पशु बरामद किये गये। जिसके सम्बन्ध में थाना तहबरपुर पर मु0अ0स0 80/2025 धारा 3/5A/8 उ0प्र0 गौहत्या निवारण अधिनियम व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 बनाम 1. चालक रोहित यादव पुत्र लाल बहादुर निवासी ग्राम कोहड़ा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर 2. अबिद पुत्र अज्ञात सा0 अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

➡विवेचना के क्रम में दिनांक 15.04.2025 को **अभियुक्त** रोहित यादव पुत्र लाल बहादुर निवासी ग्राम कोहड़ा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर **को समय 21.30 बजे** पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है।

➡ **पुलिस मुठभेड़ का विवरण–** दिनांक 15.04.2025 को **प्रभारी निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह** मय पुलिस बल थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित ट्रक चालक व उसका साथी सर्विस लेन के पास **ग्राम करियावर** के सामने खेत में बने एक पुराने टूटे मकान में बैठे है और अंधेरा होने के बाद कही बाहर जाने के फिराक में है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक तहबरपुर मय हमराह हिदायत मुनासिब कर अलग अलग होकर खण्डहर नूमा मकान के पास पहुचे थे कि उक्त मकान से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस बल को जान से मारने की नियत से फायर किया जो प्रभारी निरीक्षक तहबरपुर के दाहिने कान के पास से निकल गया आत्मसमर्पण करने की पर्याप्त चेतावनी के बाद प्रभारी निरीक्षक तहबरपुर द्वारा आत्मरक्षार्थ नियन्त्रित फायरिंग की गयी जिसमें अभियुक्त **रोहित यादव पुत्र लाल बहादुर निवासी ग्राम कोहड़ा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर** के **दाहिने पैर में गोली** लगी, जिसे **समय 21.30 बजे** पुलिस हिरासत में लेकर उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तहबरपुर, आजमगढ़ रवाना किया गया तथा दुसरा व्यक्ति अन्धेरे का फायदा उठाकर गांव की तरफ भाग गया।

➡ **घायल अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमन्चा .315 बोर व, 01 अदद खोखा कारतूस, एक अदद मिस कारतूस .315 बोर बरामद** किया गया।

➡गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना तहबरपुर पर **मु0अ0सं0 81/2025 धारा 109,352,351(3),3(5) भा0न्या0सं0 व 3/25 आयुध अधिनियम** बनाम 1. रोहित यादव पुत्र लाल बहादुर यादव निवासी ग्राम कोहड़ा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर व फरार 2. आविद पुत्र आशिक अली निवासी पूरे बदई महोना पश्चिम तवर अमेठी के विरुद्ध पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण- घायल अभियुक्त रोहित यादव पुत्र लाल बहादुर यादव निवासी ग्राम कोहड़ा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर पूछने पर बताया कि हम दोनो ही गाय और बैल को विल्हौर कानपुर में राजस्थान के भाटो से खरीदकर ट्रक पर लादकर बिहार के सिवान जिले के कर्बला में ले जाकर ब्यापरियो को बेचने का कार्य करते है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 80/2025 धारा 3/5A/8 उ0प्र0 गौहत्या निवारण अधिनियम व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
2- मु0अ0सं0 81/2025 धारा 109,352,351(3),3(5) भा0न्या0सं0 व 3/25 आयुध अधिनियम थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त-

1. रोहित यादव पुत्र लाल बहादुर यादव निवासी ग्राम कोहड़ा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर **(पुलिस मुठभेड़ मे घायल)**

बरामदगी–

1- 01 ट्रक व ट्रक पर लदे 20 प्रतिबंधित पशु जिन्दा
2- एक अदद देशी तमन्चा .315 बोर व, 01 अदद खोखा कारतूस, एक अदद मिस कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास-

1- रोहित यादव पुत्र लाल बहादुर यादव निवासी ग्राम कोहड़ा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 26 वर्ष

क्र0सं0	थाना	जनपद	मु0अ0सं0	धारा
1.	बरदह	आजमगढ़	91/24	2(b)(xv),3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट
2.	बरदह	आजमगढ़	393/23	307 भादवि व 3/5ए/8 गो हत्या नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0
3.	सरायमीर	आजमगढ़	137/19	307, 34 भादवि व 3/5ए/8 गो हत्या नि0 अधि0
4.	बारासगवर	उन्नाव	220/18	279,427 भादवि व 3/5ए/8 गो हत्या नि0 अधि0
5.	खुटहन	जौनपुर	301/23	307,34 भादवि व
6.	शाहगंज	जौनपुर	27/21	323,325,452 भादवि
7.	शाहगंज	जौनपुर	139/23	323,506 भादवि
8.	पीपरपुर	अमेठी	389/20	3/5ए/8 गो हत्या नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0
9.	अतरौलिया	आजमगढ़	88/21	420/467/468/471 भादवि
10.	बड़हलगंज	गौरखपुर	189/21	307 भादवि व 3/5ए/8 गो हत्या नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0
11.	कल्यानपुर	फतेहपुर	55/18	3/5ए/8 गो हत्या नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0
12.	मेहनगर	आजमगढ़	163/14	3/5ए/8 गो हत्या नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0
13.	सरायममरेज	प्रयागराज	229/13	3/5ए/8 गो हत्या नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0

फरार/वांछित अभियुक्त-

1. आविद पुत्र आशिक अली निवासी पूरे बदई महोना पश्चिम तवर अमेठी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह , व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह, उ0नि0 लोकेशमणि त्रिपाठी, हे0का0 कपिल देव पाल, हे0का0 मंजीत प्रसाद का0 पियूष चौधरी, म0का0 रेखा देवी, का0 ताहिर अली, , का0 रत्नेश कुमार यादव, का0 राहुल कुमार, का0 रत्नेश कुमार सिंह, का0 राकेश कुमार, व का0 रत्नेश सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

उत्तर प्रदेश पुलिस